प्रेस नोट दिनांक 18.08.2026

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त सूरज गौतम गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह कां0 रामकिशन व रि0कां0 विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1)/137(2)/87 भा0न्या0सं0 व 3/4(ख) पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त सूरज गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र छोटेलाल गौतम निवासी ग्राम अमोध, थाना- पंवारा, जनपद- जौनपुर को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चिरकुट्टी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र छोटेलाल गौतम निवासी ग्राम अमोध, थाना- पंवारा, जनपद- जौनपुर ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह कां0 रामकिशन व रि0कां0 विष्णु कुमार गुप्ता, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित ₹25,000/- के इनामिया अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद की गई।

इससे पूर्व 02 अभियुक्तों, वीरेन्द्र कुमार यादव एवं जितेन्द्र यादव उर्फ सतेन्द्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2026 को अपराह्न ग्राम सुआनारी के पास सतेन्द्र यादव, वीरेन्द्र यादव, प्रेम यादव एवं राज यादव तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कार से ओवरटेक कर बोलेरो वाहन को रोककर शिवनाथ यादव को वाहन से बाहर खींचकर लाठी-डण्डों, लात-घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता वादनी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां पर दिनांक 13.08.2026 को मु0अ0सं0 170/2026, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घायल शिवनाथ यादव को उपचार हेतु सीएचसी कुण्डा ले जाया गया, जहां से चिकित्सक द्वारा उन्हें बेहतर उपचार हेतु प्रतापगढ़ रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें एसआरएन अस्पताल, प्रयागराज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 14.08.2026 को प्रातः उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता देवचन्द्र यादव द्वारा थाना हथिगवां पर दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/103(1)/191(2)/191(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायन वैस के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 अजय कुमार, का0 अंकित कुमार मय चालक का0 हर्षवर्धन सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर सराय सैद खां नहर पुलिया के पास वैगनार कार के साथ 25000/- रुपये के ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त शैलन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी महमदपुर बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शैलन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी महमदपुर बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र अमृतलाल यादव, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी महमदपुर बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
2. जितेन्द्र यादव उर्फ सतेन्द्र यादव पुत्र अमृतलाल यादव, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम महमदपुर बरई, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार बरामद।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 अजय कुमार, का0 अंकित कुमार मय चालक का0 हर्षवर्धन सिंह , थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान जे0एम0 लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 संतलाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मु0अ0सं0 55/11 धारा 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना उदयपुर, फौजदारी वाद संख्या 1063/12, राज्य बनाम मनोज वर्मा , से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त मनोज वर्मा पुत्र महेश वर्मा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान NCR नं0 60/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना उदयपुर, फौजदारी वाद संख्या 693/26, राज्य बनाम अजय मिश्रा आदि, से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त विन्ध्येश्वरी मिश्रा उर्फ विन्ध्यादीन मिश्रा पुत्र त्रियुगीनारायण उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम मखदूमपुर उर्फ करीमनपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मनोज वर्मा पुत्र महेश वर्मा, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बेवली, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
सम्बन्धित वाद: फौजदारी वाद संख्या 1063/12, राज्य बनाम मनोज वर्मा, अ0सं0 55/11, धारा 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट, थाना उदयपुर।

2. विन्ध्येश्वरी मिश्रा उर्फ विन्ध्यादीन मिश्रा पुत्र त्रियुगीनारायण, उम्र करीब 62 वर्ष, निवासी ग्राम मखदूमपुर उर्फ करीमनपुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
सम्बन्धित वाद: फौजदारी वाद संख्या 693/26, राज्य बनाम अजय मिश्रा आदि, NCR नं0 60/18, धारा 323/504/506 भादवि, थाना उदयपुर।

पुलिस टीम-
1. उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 संतलाल सिंह, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर कार में ले जाने एवं जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, किशोरी को कार में ले जाने एवं जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गौरव यादव गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 17.08.2026 को वादी निवासी ग्राम राजा का पुरवा, बड़ा बरीबोझ, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री को गौरव यादव पुत्र अज्ञात द्वारा कार में बैठाकर अपने साथ ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 315/2026 धारा 140(1), 123 बीएनएस बनाम गौरव यादव पुत्र अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि किशोरी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी कुशल पर्वेक्षण में व थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0 का0 जाहिद हुसैन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 123,140 (1) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त गौरव यादव पुत्र राम आसरे यादव नि0 ग्राम संगियापुर (सांगीपुर) नं0पं0 लालगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष हाल पता ग्राम सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहा के पास पुलिया के निकट से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. गौरव यादव पुत्र राम आसरे यादव नि0 ग्राम संगियापुर (सांगीपुर) नं0पं0 लालगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष हाल पता ग्राम सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0 का0 जाहिद हुसैन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।